राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 1367 / 2002 / जयपुर

नियामत अली पुत्र शहाबुद्दीन जाति नागोरियान मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील दूदू जिला जयपुर

....अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती जुम्मा बेवा मिश्रुद्दीन जाति नागोरियन मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील दूदू जिला जयपुर
2. श्रीमती शरीपन पत्नी इमामुद्दीन पुत्री मिश्रुद्दीन जाति नागोरियन मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील दूदू जिला जयपुर
3. श्रीमती बतूल पत्नी मुन्ना पुत्री मिश्रुद्दीन जाति नागोरियन मुसलमान निवासी खोनागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री जे.के.पारीक व श्री जे.पी.माथुर, अभि0 अपीलांट
श्री हिमांशु सौगानी एवं श्री सुनील कडवासरा (ब्रीफ होल्डर) अभि0 रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय **दिनांक : 8.4.19**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 41 / 2001 में दिनांक 13–2–2002 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण / रेस्पोडेन्ट्स ने एक वाद सहायक जिलाधीश, दूदू (जयपुर) के न्यायालय में घोषणा व स्थाई व्यादेश बाबत पेश किया था। वाद पत्र में यह अंकित किया गया था कि भूमि खसरा नंबरान 4217 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, 4218 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, 4203 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील दूदू में स्थित है के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं, वे इसका सरकारी लगान अदा करते आ रहे हैं। वादिनी जुम्मा को ऑखों से नहीं दिखता है। उसके पति का निधन हो जाने के बाद हल्का पटवारी ने

दिनांक 6–10–1995 को वादग्रस्त भूमियों का नामान्तरकरण भी वादीगण के पक्ष में तस्दीक कर दिया था किन्तु दिनांक 10–10–1995 को सरपंच मौजमाबाद ने प्रतिवादी/अपीलांट के पक्ष में फर्जी व नुमायशी नामान्तरकरण इन भूमियों का तस्दीक कर दिया। इससे पूर्व वादीगण को सुना नहीं गया। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकारी संबंधी पृथक से कानून व्यवस्था है। मृतक मिश्रुद्दीन ने कभी भी वसीयत सम्पादित नहीं की। प्रतिवादी ने जिस वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक कराया है, वह फर्जी है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया कि दिनांक 10–10–1995 को प्रतिवादी/अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध घोषित किया जाए तथा वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त आराजीयात में 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। प्रतिवादी को स्थाई व्यादेश से प्रतिबंधित किया जाए कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजीयात रहन, बय, मुंतकिल नहीं करे। प्रतिवादी/अपीलांट ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा होना बताया था। उसका यह भी कथन था कि मिश्रुद्दीन व नसीरूद्दीन नाम का एक ही व्यक्ति था। ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही नामान्तरकरण तस्दीक किया था। प्रतिवादी ने जवाबदावा में वाद खारिज करने का निवेदन किया था। इसके साथ ही काउन्टर क्लेम भी पेश किया था, जिसमें उसने उल्लेख किया था कि मिश्रुद्दीन ने प्रतिवादी/अपीलांट की सेवा खुश होकर उसके पक्ष में वसीयत तस्दीक की थी। इसलिए वादीगण को पाबंद किया जाए कि वादग्रस्त आराजी में उसके कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा न करे तथा उसे वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया जाए। दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय ने कुल 4 तनकियात कायम की थी। साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद दिनांक 30–1–2001 को वादीगण का वाद खारिज किया गया था एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया था। तद्नुसार उसे वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एवं वादीगण को स्थाई व्यादेश से पाबंद किया गया कि वह प्रतिवादी के कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करे। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण ने केवल एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे दिनांक 13–2–2002 के निर्णय के द्वारा स्वीकार किया गया था तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी/अपीलांट को स्थाई व्यादेश से प्रतिबंधित किया था। राजस्व अपील प्राधिकारी के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मौजूदा अपील प्रतिवादी/अपीलांट ने पेश की है।

3. इस अपील में विधि का यह बिन्दु निहित है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष पेश की गई एक ही अपील पोषणीय थी या उन्हें वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम डिक्री करने के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध 2 पृथक–पृथक अपीलें प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश करनी चाहिए थी ?

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/अपीलांट की दलील है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स अपना पक्ष कथन साबित नहीं कर पाये थे। उनका वादग्रस्त आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। राजस्व रिकार्ड में भी प्रतिवादी/अपीलांट का नाम अंकित है। प्रतिवादी/अपीलांट ने अपने जवाबदावा के साथ काउन्टर क्लेम भी पेश किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने डिक्री कर दिया था। विचारण न्यायालय के उस निर्णय व डिक्री को वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने प्रथम अपील के द्वारा चुनौती नहीं दी थी। प्रतिवादी/अपीलांट के पक्ष में जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था, वह सभी कानूनी प्रक्रियाओं की पालना करके स्वीकार हुआ था। इसलिए वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाए।

6. विद्वान अधिवक्ता वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उनका कहना है कि विचारण न्यायालय ने तथ्यों एवं साक्ष्य की अनदेखी करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया था। वादीगण, मृतक मिश्रुद्दीन के उत्तराधिकारी होने की वजह से इन आराजीयात पर खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता है। चूंकि प्रतिवादी/अपीलांट, मिश्रुद्दीन का पुत्र नहीं था, इसलिए उसके द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्ति की उसके पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत विधि विरूद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन तथ्यात्मक एवं विधिक पहलुओं को मध्यनजर रखते हुए वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स की अपील सही रूप से स्वीकार की थी। विचारण न्यायालय ने एक ही निर्णय के द्वारा वाद वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का वाद खारिज किया था तथा प्रतिवादी/अपीलांट का काउन्टर क्लेम डिक्री किया था। इसलिए केवल एक ही अपील की जानी चाहिए थी तथा इसीलिए उन्होंने एक ही अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश की थी। इसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जाए।

7. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. इस बारे में विवाद नहीं है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादी/अपीलांट का काउन्टर क्लेम डिक्री करने के निर्णय के विरूद्ध वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष केवल एक अपील पेश की थी। आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. 1908 के प्रावधानों के अवलोकन से यह इंगित होता है कि काउन्टर क्लेम भी एक वाद का ही रूप होता है तथा उस पर वह सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि किसी वाद में लागू होते हैं। ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1202 'प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन' के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किया गया है–

> "Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree…… Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non-filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1645 'लोनान कुट्टी बनाम थोमन' के मामले में भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि दो वादों के कन्सोलिडेट हो जाने के बाद यदि एक ही निर्णय के द्वारा दोनों वादों का निस्तारण किया जाता है तो ऐसे मामले में भी धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित होंगे। आर.एस.ए.नबंर 14/2015 निर्णय तिथि दिनांक 28–1–15 'गिरिजा वगैरह बनाम राजन वगैरह' के प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी वाद में काउन्टर क्लेम पेश होता है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत होती है, तब ऐसे मामले में धारा 11 सी.पी.सी. में वर्णित पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू हो जायेगा। इस संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था निम्नानुसार है–

> "From the above discussion, it is discernible that the law stated in Order 8 Rule 6A C.P.C. makes it abundantly clear that the counter claim in a suit will have all the characteristics of a cross suit including the vulnerability of suffering the bar of res-judicata enshrined in section 11 C.P.C., if not properly challenged.....Therefore, I find that the question of law arising in this case can only be decided against the appellants, finding that if a defendant who raised a counter claim in a suit, fails both in the suit and in the counter claim, will have to file separate appeals challenging the decree in the suit and the counter claim. Since the appellants in this case failed to do so before the lower appellate court, I am of the view that the first appeal itself was barred by res-judicata."

9. उक्त तीनों मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। इस मामले में भी वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विचारण

न्यायालय के वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम डिक्री करने के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई एक ही अपील पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में केवल वादीगण का वाद डिक्री किया है तथा इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी / अपीलांट के काउन्टर क्लेम को डिक्री करने का निर्णय आज भी अस्तित्व में है। इन परिस्थितियों में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं तो दो परस्पर विरोधाभासी निर्णय व डिक्रियां प्रभाव में रहेगी, जिससे पेचिदगियां उत्पन्न होंगी तथा पक्षकारान के हितों में टकराव बरकरार रहेगा। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील तय करते समय इस तथ्यात्मक व विधिक पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वादीगण / रेस्पोडेन्ट्स को दो पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत करके ही विचारण न्यायालय के निर्णय निर्णय व डिक्री को चुनौती देनी चाहिए थी तथा उनके द्वारा ऐसा नहीं करने से प्रथम अपील पोषणीय ही नहीं थी। लिहाजा यह अपील काबिले स्वीकार है।

10. उक्त विवेचनानुसार यह अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–2–2002 को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाता है।

सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष